way or not. (Interruptions) That should satisfy both the parties. (Interruptions)

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Mr. Chairman, Sir, just one minute. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That should satisfy the Members, I think.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

भी रामेशवर सिंह: श्रीमन्, बात सूत लोजिए । मैं एक मिनट में श्रयनी बात खत्म कर दंगा । सीताराम केसरी जो ने कहा हैकि ग्रखवारों के ब्राधार पर बस करके कोई बात नहीं माननी चाहिए । तो मैं पूछना चाहता प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो जयात यखवारों ने दिया है, क्या वह सरासर झुठ है कि सत्य है? ... (Interruptions) अयर वह सत्य है, तो हमारा कहना भी सत्य है। ... (Interruptions) तक संगत बात से घवराना नहीं चाहिए... (Interruptions) प्रधान जी जो च्यान (Interruptions) सारा वयान सुनना चाहिए . . . (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go to the next item, that is, the Calling-Attention Motion. Yes, Mr. Satya Pal Malik. Please stand up.

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Acquisition by the Delhi Administration of the Entire Land of the Villages of Tughlakabad, Tigri, Deoli, Khanpur, Saidul-Jaib, Neb Sarai, Hauz Rani and Khirki owned by Small Peasants.

भी सर मिलिक (उत्तर प्रदेश): मैं निर्माण तथा आवास मंत्री जी का ध्यान तुगलकाबाद, तिगड़ी, देवली, खान- पुर, सईद-उल-अजायब, नेब सराय, हौज रानी श्रीर खिड़की गांवों में छोटे किसामों की सम्पूर्ण भूमि को दिल्ली प्रणासन द्वारा अजित किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, Under the Master Plan of Delhi which was prepared in late fifties and which came into effect w.e.t. 1-9-1962, the urbanicable area upto 1981 covered about 1,10,500 acres. The Master Plan had a perspective period of 20 years. It envisaged to accommodate population of about 45 lakhs which was later on revised to about 53 lakhs through redensification. 'The present population of the urban area is estimated to be about 58 lakbs and as per population projections worked out by the perspective planning wing of the DDA, urban population of Delhi is likely to be of the order of L22 lakhs in the year 2001, which is about double of the present population.

Although there is an attempt to decentralise some of the activities to the small and medium towns in the adjoining States of Haryana, U.P. and Rajasthan, considerable population pressure would, however, continue to be felt in Delhi.

Necessary exercise for the preparation of the Second Development Plan for Delhi has already been started by the DDA with a view to cater to the needs of the projected population. In the intervening period of formulation of this plan and its approval by the Parliament, large scale transactions of land would take place and going by the previous experience, such transactions, if not checked, would make the implementation of the new plan difficult. Hence, it is absolutely necessary to take timely steps for preserving the land for this purpose.

Accordingly, the Delhi Administration has issued two Notifications in I respect of South Delhi under Section

[Shri Bhishma Narain Singh.] 4 of the Land Acquisition Act, 1894 on 5-11-1980 and 25-11 1980, to the effect that whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that the land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz., for the planned development of Delhi, the entire land in the revenue States of th-j following villages is notified under the said Section 4:-

- (i) Notification dated 5-11-1980, Tughlakabad, Tigri, Deoli, Khanpur, Said-ul-Ajaib, Neb Sarai, Hauz Rani and Khirki,
- (ii) Notification dated 25-11-1980: Chhatarpur, Sathbari, Maidan-garhi, Shayoorpur and Rajpur Khurd.

The above notifications, however, exclude the following land in The revenue estates of the villages stated above:-

- (a) Government land;
- The land already notified (b) either under section 4 or under sec tion 6 of the Land Acquisition Act. 1894; and
- (c) The land in respect of which building plans were sanctioned by the M.C.D. before 5th November, 1980

After receipt of objections from the interested parties under section 5A of the Act and a report from the Land Acquisition Collector concerned, decision for acquisition of specific areas shall thereafter be taken and notification under section 6 of the Act issued accordingly.

As regards village abadis necessary action would be taken after the objections are filed and considered under section 5(A) of the Act. The area now notified is outside the urbanisable limits of the present Master Plan.

श्री सत्यपाल मलिक : उपसभापति जी, जिन-जिन गांवों में ये जमीने ली

गई हैं इस का नोटिफिकेशन करते समय सरकार का तर्क है कि हम दिल्ली में जमीनों की जो रैकेटियरिंग हो रही है उस को रोकना चाहते हैं । मैं प्रश्न करने से पहले यह निवेदन करना चाहुंगा माननीय मंत्री जी से कि वे डी० डी० ए० की टोटल फंकणनिंग पर इस हाउस में कभी डिबेट करायें या संसद की कोई कमेटी ग्रपोइन्ट करें। वह पाएंगे कि इस दिल्ली में जमीनों का सब से ज्यादा रैकेटियर डी० डी० ए० है ग्रीर बाकी लोग दूसरे नम्बर के हैं। लेकिन इस वक्त मैं इस मामले में ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। ग्राज की बहस में मेरा सिर्फ मकसद यह है कि मैं सवाल करने से पहले माननीय मंत्री जी को यह बता दं कि दिल्ली का विकास करने वाले लोग दिल्ली के देहातों के साथ किस प्रकार का सलक कर रहे हैं और करते ग्रा रहे हैं। जो जमीन ली गयी उस पर हम को एतराज नहीं, हमारा एतराज यह है कि दिल्ती में 300 गांव हैं, एक तिहाई गांव धर्वनाइज्ड हैं, जो शहर के बीच में आ गये हैं वे अर्ब-नाइज्ड गांव हो जाते हैं, उन गांवों की जो ग्राज से 33 साल पहले ग्राबादी थी उस से दुग्नी, तिग्नी हो गयी, लेकिन श्चंग्रेजों के जमाने का लालडोरा एक्ट उन के गांव की सीमा निर्धारित करता है कि इस से ज्यादा उन की ग्राबादी नहीं बढ़ पाये । उन गांवों की न्याय पंचायतों की जो जमीनें थीं वे केन्द्र सरकार के पास चली गयीं । उस का कोई मझावजा न्याय पंचायत को नही मिला ताकि उन गांबों का विकास हो सकता । ग्राप चिराग दिल्ली गांव को ही देखिए । उस के चारों तरफ दिल्ली की शानदार कालोनियां हैं और चिराग दिल्ली शाम को ग्रगर मंत्री महोदय चले जायें तो पायेंगे कि उस गांव की मां स्रीर बहुने साज भी सहक के ऊपर बैठकर

213

शीच करती हैं। इस से ज्यादा शर्मनाक बात डी. डी. ए. के लिए हो नहीं सकती । उन गांबों में न बेहतर पानी का इन्तजाम है, न सफाई है, न बायरूम है, न सीवेज है, न डिस्पेंसरी है। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट उन देहातों का नहीं किया गया। दिल्ली के देहातों के साथ सरकार का सलक वैसा है जैसे कोई हमलावर स्राता है सौर कहता है कि यह इलाका हम ने जीत लिया, खाली करिए, बाहर जाइए । इस तरह का सलक है उन इलाकों के साथ । आप ने जितनों लंड एक्वायर की थी नवम्बर 59 में ब्राज भी उस में 30 हजार एकड जमीन पड़ी हुई है बिना किसी इस्तेमाल के। इस लिए ग्राप का यह तर्क कि दिल्ली के विकास के लिए उस जमीन को लेने की जहरत थी बिलकुल खोखला है। इस के ग्रलावा जो हमारा सब से बड़ा एतराज है वह यह है कि जिस बक्त ग्राप टैक्स लगाते हैं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, मनमाना टैक्स लगाते हैं, पचास किस्म के टैक्स जमीनों पर हैं, लेकिन मुद्रावजा जब होता है तो उस मुद्रावजे को तय करने की कोई बुनियाद नहीं है, कोई ब्राधार नहीं है, बहुत पेटी रेवेन्यू ब्राफी-शियल मद्यावजा तय करते हैं । उस में किसान दर-ब-दर घमता है, सुनवाई नहीं होती । मग्रावजा जिस तरह से दिया गया है उस के दो ब्रांकड़े माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं । उस से ग्राप को पता चलेगा कि कितना जुल्म यहां के किसानों के साथ होता है। शाहदरे के इलाके में जो मुद्रावजा दे कर अमीन ली गयी वह 25 पैसे से 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर दिया गया । वहां उस बक्त बाजार का दाम था 30 से 40 रुपया स्क्वायर मीटर ग्रौर डी. डी. ए. ने उन जमीनों को बेचा 400-500 स्क्वायर मीटर । डेबलपमेंष्ट

importance का खर्चा ग्राप कार्टे तो वह 30-40 रुपये पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं ब्राता । उस को काटने में हम को एतराज नहीं होगा । साउथ दिल्ली में मुम्रावजा दिया गया 2 से 5 रूपया पर स्क्वायर मीटर जब बाजार भाव था 50 से 100 रुपया पर स्ववायर मीटर ब्रीर डी. डी. ए. ने 400-500 तक बेचा ग्रौर ग्रब एक हजार रुपये पर स्क्वायर मीटर उन आवादियों की जमीनें जा रही हैं। नवस्वर में मैंने एक बयान पड़ा था भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मध्यक्ष का कि 90 करोड़ रुपया ग्राज भी मग्रावजे का दिल्ली के किसानों का सर-कार के ऊपर बकाया है। हाई कोर्ट में सैंकड़ों मुकदमे चल रहे हैं । जो मुद्रावजा दिया जाता है उस मुझावजे को धाप किश्तों में देते हैं। किसान कोई धन्धा नहीं जानता । आप खुद किसान हैं, माननीय मंत्री जी किसान हैं । खेती-पेशा ग्रादमी रुपये का इस्तेमाल नहीं जानता । उस को रुपया ग्राप इकट्ठा नहीं देते ताकि वह कोई काम कर सकता। ट्कड़े-ट्कड़े में रुपया देते हैं, जो रुपया उस का बर्बाद हो जाता है। सारा रुपया इकट्ठा दें तो वह कोई काम कर सकता है। लेकिन अक्सर वह काम जानता भी नहीं है क्योंकि गांव का म्रादमी है। उस को म्राप म्रलग-म्रलग रुपया देते हैं श्रीर उस पर 6 रुपया सैंकडे, का व्याज देते हैं। मेरी ग्रापत्ति यह है कि जिन लोगों को ग्राप उजाडते हैं उन लोगों के बच्चों को ग्राप कोई ब्राल्टरनेटिव जांब नहीं देते हैं। उसी इलाके में जो दकानें बनती हैं उन दकानों को ग्रावंटित नहीं करते । उस इलाके में जो जमीनें ली गयी हैं उन में जो एक्टिविटीज होती हैं उन में उन जमीन वालों के बच्चों की कोई शिरकत नहीं होती। इस के ग्रलावा उस जमीन से जुड़े हुए हैं, नाई, तेली, कुम्हार, कहार,

public importance

िको सत्काल मलिकी पचीसों धन्धों के लोग--वे सारे लोग भी म्राहिस्ता-म्राहिस्ता वर्वाद हो जाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के जिन देहातों की जमीनें ली गयी हैं या ली जाने वाली हैं उन को मुद्रावजा जो बाजार का दाम है उस के ग्राधार पर मिले, मधावना इक टठा मिले, मुखावजे में देर हो तो जो बैंक की ब्याज की दर है उस दर पर मिले, उन के बच्चों को वसाने का बौर ग्रास्टरनेटिव धन्धे देने का इन्तजाम होना चाहिए । मेरी आपत्ति यह भी है कि इतना रेकलेस बिहेबियर है कि भट्टे के ठेकेदारों के लिए आप ने दिसम्बर, 78 में जमीनें लीं, भटटा लगाने के लिए हरी-भरी उपजाऊ जमीनें किसानों की ले ली गयीं। जिन इलाकों में जमीनें ली गयीं वहां पर बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउसेज हैं. शानदार लोगों के फार्म हाउसेज हैं। मैं जब इस जमीन के लेने का विरोध कर रहा हूं तो जो फाम हाउस बना रहे हैं उन के समर्थन में नहीं बोल रहा। कोई बड़े लोगों के फार्म हाउसेज नहीं बनने देने चाहिए इस इलाके में क्योंकि इसी को देख कर सेलरीड आदमी लल-चाता है, बेईमानी करता है। लेकिन बैठी हैं माननीय सदस्या, मझे माफ करेंगी महारानी पटियाला, उन का फार्म ले लिया जाना चाहिए, मिसेज इन्दिरा गांधी का फार्म छलरपूर में है वह ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन बह नहीं लिये गये । डालिमया का फार्म है, ब्रोबेराय का फार्म है, ब्रौर ऐसे ही जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उन की जमीन पहले ली जानी चाहिए थी । मामली यादमी तो असहाय है । उस की जमीन ग्राप लेते हैं ग्रीर उन बड़े ग्रादिमयों की जमीन ग्राप लेते नहीं। एक ग्रन्सल विल्डर्स हैं, एक पोद्दार बिल्डस हैं, उन के जो बड़े फाम् स हैं उन पर कोई हमला नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह

से मामुली किसान की जमीन को ले कर उस को मंहगे दाम पर बचा जा रहा है उस हिसाब से किसी धच्छ ग्रीर ईमानदार ग्रादमी के जिन्दा रहने के काबिल यह नगरी नहीं रह पायेगी । यह तो कालाबाजारियों ग्रीर दलालों का शहर वन जायगा और इस को रोकने के लिये आप को कुछ करना चाहिए । जो आप की टोटल अरवना-इजेशन की पालिसी है जिस में साधारण लोगों को ग्राप सस्ते नकान बना कर देना चाहते हैं उस में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस की जमीन भ्राप ले रहे हैं उन को म्राल्टरनेटिव म्राक्पेशन म्राप देने की व्यवस्था करें।...

श्री उपसमापति : ग्राप को दोहराने की जरुरत नहीं है।

श्री सत्यवाल मलिक : अंत में मैं तीन प्रश्न मंत्री महोदय से करना चाहता हं। जो तकलीफ मैं ने उन लोगों की देखी है उसे मैंने आप के सामने निवेदन कर दिया मुख्तसर में ग्रीर उस के बाद में तीन प्रश्न ग्राप से करना चाहता है ग्रीर में ग्राप का उनके लिये एश्योरेंस चाहता हं कि श्राप जो जमीनें लेने जा रहे हैं उन का मुझाबजा जो ब्राज उस का बाजार भाव है उस के हिसाब से उन किसानों को देंगे ? ग्रीर क्या वह मग्रावजा एक साथ देंगे और मुग्रावजे की दर तय करने के लिय ग्रगर लैंड एक्वीजीशन एक्ट 1894 या 98 का जो है उस में तरमीम की गुंजाइश हो तो बह करने के लिय तैयार होंगे ? जो लाल डोरा की सीमायें हैं जिन के चलते बढ़ती हुई आवादी के लिये कोई इंतजाम नहीं है उस सीमा को ग्राप बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वह गांव से बाहर वस सकें ग्रीर उन गांवों के स्कूल ग्रीर दसरी एक्टिविटीज के लिये ग्राप कुछ जमीन प्रोवाइड करेंगे ?

नम्बर 3, क्या उन गांवों के विकास के लिये कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट

बनायेगी और चौथे जितनी बड़ो ब्रालीशान कोठियां ग्रीर फार्म हाउसेज हैं क्या आप उनको भी टेकब्रोवर करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्रो भोडम नारायण सिंह : मान्यवर, ै मैं सम्माननीय सदस्य श्री सत्यपाल मलिक जी विचार का ग्रौर जो उन्होंने ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव से प्रश्न उठाया है उसका आदर करता हूं और मैं उन की बात को ध्यान से सुन रहा था। मैं भी किसान हं और वह भी किसान इस में कोई दो रायें नहीं हैं और किसानों को सुविधा मिले, उनको ज्यादा सहलियत हो इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए । लेकिन यह जो सवाल है जिसके बारे में भ्राप जानकारी चाहते हैं इसके संबंध में मैंने अपने उत्तर में व्यापक रूप से बताने की चेष्टा की है और मुझे इस बात से खुशी है कि आप को इस बात से एतराज नहीं है कि लैंड एक्वीजीशन किया जाय । श्रापने प्रारम्भ में ही कहा है कि लैंड एक्वीजीशन हो, उसमें आप को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके मुग्रावजे से संबंधित आपकी आपत्तियां हैं । आप जानते हैं कि मुझावजे का निर्धारण लैंड एक्वीजिशन कलेक्टर करता है। डी.डी.ए. के नोटीफिकेशन के बाद म्रापत्तियों वगैरह के बारे में मैंने बताया कि अगर अनुचित नोटिफिकेशन हो गया तो उसके सुधार की पूरी गुंजाइश है। उसके बाद लैंड एक्वीजीशन कलेक्टर निर्धारित करता है कि उस लैंड का क्या भाव हो । उसके लिये लैंड एक्वीजीशन एक्ट में प्रोसीजर ले डाउन किया गया है । उसके मुताबिक वह कार्यवाही करते हैं ग्रौर उसके बाद भी ग्रगर किसी को एतराज होता है कि उसकी जमीन का भाव ठीक नहीं लगाया गया तो वह लोग अपील में जाते हैं और कई स्टजेज पर ग्रपील की गुंजाइश है ।

इसका जिक मैं इस लिये कर रहा हं कि कानन में व्यापक व्यवस्था है कि जिस किसान को ग्रापत्ति हो उसकी सुनवाई हो सकेंगी और निर्णय हो जायगा। तो जहां तक मुख्रावजे का प्रश्न है यह माध्यम किसानों के लिये खले हैं भीर इनके माध्यम से वे अपील कर सकते हैं। फिर भ्रापने बाजार भाव की बात कही। अभी प्रश्नोत्तर काल में उसके लिये ग्रापको चिन्ता थी, सदन को चिन्ता थी, ग्रौर हम सब को चिता है । यह बडी विचित्र स्थिति बन गई है कि एक तरफ तो जमीन की कीमत ज्यादा वढे तो सदन में चिन्ता व्यक्त की जाए, अभी सदन में आपने देखा । दूसरी तरफ हम ज्यादा कीमत न दें तो भी चिन्ता का विषय है । आप सोचिये, कितनी विषम परिस्थिति में सरकार चलती है। (Interruptions)

श्री मन्भाई पटेल (गुजरात): भीषण तो है ही । . . . (Interruptions)

श्री भोडम नारायण सिंह: यह बात ठीक है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए । लेकिन जब हम ज्यादा कीमत देंगे, जैसे मार्केट रेट की बात ग्रापने कही तो कीमर्ते श्रौर भी बढेंगी । इस वजह से सारी चीजों को ध्यान में रख कर सरकार को एक बैलैंस्ड व्य लेना पड़ता है ग्रीर उस आधार पर जो प्रिसियल ले डाउन किये जाते हैं और जिनका कार्यान्वयन लेंड एक्वीजिशन कलेक्टर करता है, उसी के अनुसार जमीन का मूल्य निर्धारण किया जाता है । इसमें बैलेंस्ड व्यु रखेंगे तभी काम चलेगा।

किसानों के हितों की बात ग्रापने उठाई है, भ्रापका फर्ज भी बनता है। हम लोगों की भी सहानुभृति है । श्रीर भी जमीन का दाम बढ़ा दें शहरों की भूमि का तो ग्राप भी पसन्द नहीं करेंगे

[श्री मीष्म नारायण सिंह]

इसलिए सब सोच समझ कर वैलेंस्ड व्यू लिया गया है।... (Interruptions)

श्री **ग्रब्दुल रहमान शेख** (उत्तर प्रदेश) : इस सबका शिकार किसान ही क्यों हो ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं किसानों के हक में खुद भी हूं । मैं खुद किसान का लड़का हूं । इसलिए हमने बैलेंस्ड ब्यू लिया है । अभी हाल में जो दाम दिये गये हैं एक्वीजिशन के वह मैं आपको बताऊं कि 3 हजार एकड़ जमीन का एक्वीजिशन हुआ है जिसके दाम दिये गये हैं 7 करोड़ रुपये । आप ही सोचिये ।

श्रो लाल कृष्ण श्राश्ववाणी (गुजरात) : सवाल यह है कि किसानों से किस भाव पर ग्रक्वायर की श्रीर किस भाव पर बेची ? श्राप किमिनल प्राफिटियरिंग करते हैं।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने खुद कहा कि मैं तो किसान का लड़का हूं, मैं चाहता हूं कि किसानों को श्रधिक मिले । लेकिन श्राप देखिये एक तरफ तो जोरदार मांग श्रभी हो रही थी कि शहरों में जमीन का दाम न बढ़े । तो सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण नहीं ग्रपनाया तो काम नहीं चल सकता है । किसानों की हितों की भी रक्षा करनी है, दाम भी नहीं बढ़ने देने हैं । दोनों में हमको संतुलन रखना होगा ।

आपने अपने भाषण के कम में चिरान गांव के बारे में बताया ... (Interruptions)

श्री उप सभापति : गांव के डेवलपमें के बारे में पूछा था !... (Interruptions) श्रो भोष्म नारायण सिंह: चिराग दिल्ली गांव के बारे में श्रापने पूछा। मैं श्रापको जान-कारी देना चाहता हूं कि वहां पर 15 लाख रुपये उस गांव के विकास के लिए सँक्शन किये गये हैं। वैसे तो सारे गांवों के सर्वागीण विकास के लिए सरकार की नीति रहती है, सारी योजनायें बनती हैं चाहे पंचवर्षीय योजना हो और गांवों के विकास के लिए योजनायें लोकल ग्रथारिटीज बनाती हैं। वह तो रहती हैं, लेकिन इस गांव के विकास के लिए 15 लाख रुपया दिया गया है।

श्री सुरे: इ. मोहन (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी को बता दूं कि जो रास्ता था चिराग दिल्ली से आने और जाने का वह भी बन्द कर दिया गया है।

श्री भीष्म नारायण सिंह: यह जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसको देखूंगा। जहां तक मकानों की बात है, उस एरिया में जिसके भी मकान पड़ते हैं या जमीन लेने की नीति है तो जो कोई भी रास्ते में ग्राते हैं, उनको न तो छोड़ा जाता है, न किसी को जमीन जबरदस्ती ली जाती है। इसमें किसी सम्मानित सदस्य का भी नाम लिया गया। तो किसी समानित सदस्य का सवाल नहीं है, इसमें नियमित काम होता है, जो नियम होता है बही किया जाता है। ग्रगर किसी ग्रादमी को कानून का संरक्षण प्राप्त हो तो उसकी जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं।... (Interruptions)

डा॰ भाई महाबीर (मध्य प्रदेश) : उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम भी लिया ।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रधान मंत्री जी का नाम वहाँ ले लेते हैं तो मैं उनको बता दूं कि प्रधान मंत्री जी की इस इलाके में कोई जमीन नहीं हैं । इसलिए कभी-कभी जाने या ग्रनजाने में सत्यपाल मलिक जी भी कह देते हैं तो मैं क्या करूं ? जिन लोगों की गांव में जमीन पड़ती हैं उनमें प्रधान मंत्री जी की

जमीन नहीं स्नाती । (Interruptions) जहां तक मुझे जानकारी है, जिनके बारे में आपने ध्यान ग्राकर्षित किया है ग्रौर जिनके बारे में मैंने भ्रापको बताया है वह यह है कि जमीन एक्वायर की गई है उसमें उनकी जमीन नहीं

श्रो उपसभापति : लाल डोरे के बारे में बतादीजिए ।

डा० भाई माहवीर : मंत्री जी, इनकी शिकायत यह है कि ऐसे गांवों को एक्वायर किया गया है जहां बड़े लोगों के फार्म नहीं हैं ताकि उनमें वेन ग्राएं।

(Interruptions)

श्रीभीष्म नारायण सिहः सम्मानित सदस्यों को मैं एक बात जरूर कहना चाहंगा कि ग्राप जो प्रश्न करते हैं यानी जिसकी स्रोर स्नापने ध्यान स्नाकवित किया है उसके अंदर हमारी सीमाएं हैं और उसी के अंदर हमें आपको जानकारी देनी है ग्रीर इसमें वह सब नहीं है जो श्रवं श्राप पछ रहे हैं। लाल डोरा गांव के बारे में स्नापने चर्चा की उसकी इत्फरमेशन मेरे पास नहीं

श्रीसत्यपाल मलिक: लाल डोरेके बारे में मैंने पूछा था। इसमें ऐसा होता है कि सीमा निर्धारित होती है और उससे बागे उस गांव की स्राबादी नहीं स्राती है। सब ऐसा हो रहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है उनके लिये रहने की समस्या है तो मैं यह जानना चाहता हं कि इसके लिये जो एक्ट बना हम्रा है उसको श्राप रिव्यू करना चाहते हैं या नहीं ? (Interruptions)

श्री भोटम नारायण सिंह: ग्राप देख रहे हैं कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली को ग्रावादी भी बढ़ रही है। जो हमारी समस्या है वहीं गांव की भी समस्या है। जिस तरह से झाबादी बढ़ती जा रही है चाहे वह गांव की हो या दिल्ली की हो उसके लिये ग्रावास व्यवस्था किस**्तरह**ेसे की जाए सर-कार इसके लिये चितित रहती है। दिल्ली में इसीलिये हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं। (Interruptions)

श्री उपसभापति : इनका सवाल यह है कि लाल डोरे के ग्रन्तर्गत जो एरिया ग्राता है उसको साप बढ़ायेंगे या नहीं।

importance

matter of urgent public

थी भीरम नारायण सिंह: यह सुझाव है कि एरिया बढाया जाए । मैंने नोट कर लिया है इसको मैं देखगा।

श्री सत्यपाल मलिक: में अपना प्रश्न स्पष्ट कर दं। मैं समय वर्बाद नहीं करूंगा। (Interruptions) मुखावजे के बारे में मंत्री महोदय ने वताया कि इसको कलेक्टर रिव्य करता है। इसकी क्या दर हो इस बारे में 20-20 साल से मामला हाई कोर्ट में पड़ा है। इसको तय करने के लिये कोई सिद्धांत होना चाहिये। मैं श्रापके जरिये बताना चाहता हूं कि गांव की जमीन एक से पांच रुपये स्ववेयर मीटर के हिसाव से ली जाती है लेकिन वह बेची बहुत महंगी जाती है। धगर डेवलपमेंट के 20 परसेंट चार्जेज भी लगा लें तो भी बहुत ज्यादा बैठता है। इसलिये मेरा कहना है कि जिस दाम पर वह बेचें उसमें से भ्रपने चार्जेज निकाल कर उनको दाम देने चाहिये। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही कान्न है। (Interruptions)

श्री उपसमापति : ग्राप कह चुके हैं।

श्री सत्यपाल मलिक: मैंने प्रधान मंत्री जी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया। ग्रभी जो भ्रापने नोटिस निकाला है उसमें वे सब एरिया पड़ते हैं जो बड़े लोगों के पास हैं। मैंने केवल बडे लोगों का जिक्र किया है। (Interruptions)

श्री उपसभापति : ठीक है श्रापने कह दिया । सारी बात दोहराइये नहीं । बार-बार ग्राप दोहरा रहे हैं। (Interruptions) श्री ग्रश्विनी कूमार।

श्री प्रश्विनी कुमार (बिहार): माननीय मंत्री जो ने ग्रभी गांव की जो जमीन ले रहें हैंउसके धांकडे दिये हैं। मेरे पास भी कुछ धांकड़े उपलब्ध हैं। 1959 से लेकर 1961 तक सरकार ने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 66 हजार एकड जमीन के ऊपर सेक्शन-4 का नोटिस दिया हुआ है। 20 साल बीत गये 223

अति अधिवनी कमारी हैं 196 सि घव 1981मा रहा है। मेरी यह जानकारी है अभी तक 32 हजार एकड जमीन ली है और बाकी 34 हजार एकड जमीन वैसी ही पड़ी है। किसान भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। न वह ट्युबयेल लगाते हैं और न इंक्टर चलाते हैं। उनकी खेती की हानि हो रही है। उनको यह उर है कि किसी भी दिन यह ले ली जाएगी। मेरे को जो जानकारी है वह 34 हज़ार एकड जमीन की है। मंस्री जी इसको सही करने का प्रयास करेंगे। मैं यह जानना चाहता हं कि "फिर से साढ़े छ: हजार, 10-12 हजार को सेक्शन चार का नोटिस देने की क्या ग्रावश्यकता थी जबकि ग्रभी तक पहली बाली जमीन पड़ी हुई है। दूसरी बात यह जानना चाहता ह जो जमीन ली गई है जैसा कि मेरे मिल ने कहा कि मधावजा के लिये कोई दर तय नहीं है। जो पिछली दरें दी गई है वह 25 पैसे से लेकर अधिकतम पांच रुपये वर्ग गज की है। और पिछले दिनों दिल्ली में जो छौबशन हुए उनमें कामणियल प्लाट 50 हजार रुपये प्रति मीटर में बिके हैं। डी० डी० ए० के झांकड़ों के झनसार 5 रु० गज जमीन लेकर 50 हजार रुपये गज के हिसाब से कामश्रियल प्लाट बेचे गये हैं ग्रीर जो रजिडें-शियल प्लाट्स हैं उनके भाव लगभग दो हजार रुपये प्रति मीटर या गज हैं। जिस भाव पर ये चीजें बेची जा रही हैं और जिस भाव पर ये जमीनें पहले ली गई थी उनमें दुगने से भी अधिक का अन्तर है। इसलिए मैं जानना चाहता हुं कि दिल्ली में जमीन किसानों से किस भाव पर ली गई धौर किस भाव पर अब उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं ? मैं समझता हं कि यह जो सारा घन्तर है, इसमें डी ॰डी ॰ए ॰ प्रोफिटियरिंग कर रहा है। मेरा ख्याल है कि झगर इतना बड़ा प्रोफिटियरिंग कोई ग्राम ग्रादमी करता जो उसको बलेक-माकिटियर करार दिया जाता।

एक माननीय सदस्य : उसको नेशनल क्योरिटी ब्राहिनेंन्स में बंद कर दिया जाता ।

थी अधिवनी कुमाए : जी हां, उसको नेजनल सेक्योरिटी आडिनेन्स में भी बन्द किया जा, सकता है।

श्री मन्बाई पर्देश: किसानों मे 35 पैसे गज के भाव से जमीन ली गई है।

श्री प्रशिष्ट्यो कुमार : श्रीमन्, ग्राप देखेंने कि ग्राधिक से प्रधिक 9 ६० गता में किसानों से जमीन ली नई है और उसी जमीन को कामशियल भाव पर 50 हजार रुपये गज के भाव से बेजा गया है। यह अन्तर कई हजार गनाज्यादा है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां दिल्ली में इस प्रकार क श्रीक्शन हो रह हैं वहां 34 हजार एकड जमीन ऐसी ली गई है जिस पर डी० डो० ए० की एक्टीविटी निल है। उस पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप दिल्ली में लोगों को, मिडिल इनकम ग्रुप ग्रोर लोग्नर इनकम ग्रंप और श्रन्य गरीब लोगों को मकान नहीं सिल पा रहे हैं। एक तरफ तो डी॰ डी॰ ए॰ की एक्टीविटीज इस जमीन पर बंद पड़ी हुई है दूसरी तरफ डी॰ डी॰ ए॰ बहुत तेजी से दाम बढाता जा रहा है। जमीन और नकानों के दाम बढाने का परिणाम यह हो रहा है कि एक गरीब ग्रादमी ग्रपना मकान होने का जो स्वप्न देखता था वह भी परा नहीं हो सकता है। दिल्ली में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को नोई जयह नहीं है। में स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता है कि ग्रब सरकार के पास इतनी जमीन विकास के लिए पडी हुई है तो इसरी जमीनों को एक्वायर करने का क्या प्रश्न है ? ग्रापने किसानों को कम्पेंसेशन दिया है। मेरे ख्याल से दिल्ली में होटल विकास करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये के लगभग रखे गये हैं। माज स्थिति यह है कि जमीन के विकास के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं हो रहा है। किसानों से जो जमीन ली गई है

importance

उसका देवलपमेन्ट न करके उनके ऊपर एक तलवार लटका दी जाती है कि पता नहीं कव उनकी जमीन ले ली जाएगी । यह समस्या इतनी बड़ी है कि डी॰ डी॰ ए॰ की तरफ से कुछ भी काम नहीं हो रहा है । लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, सीमेन्ट नहीं मिल रहा है । एक तैरफ तो यह हालत है दूसरी तरफ दिल्ली एडेमिनिस्ट्रमन इनडॉर स्टेडियम बनाने पर ग्रीर दूसरी चीजें बनाने पर लाखों रुपया सर्च कर रहा है ।

तीसरा प्रकृत मेरे मित्र ने गांवों में लाल-डोरे के बारे में उठाया है। दिल्ली के गावों में चारों तरफ से लालडोरे की एक रेखा खींच दी गई है। गांवों के अन्दर कोई विकास नहीं हों रहा है। जो गांव दिल्ली से काफी दूरी पर हैं उनमें लालडोरे के भ्रन्दर प्राइवेट बिल्डर्स मकान बना कर प्रोफिटियरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय से मैं तीन प्रश्न पुछना चाहता हुं। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हं कि ग्राज तक कितनी जमीन एक्वायर हई, उसमें से कितनी जमीन का डेबलपमेन्ट हम्रा, कितने उसके ऊपर फ्लैट्स बनाये गये, कितनों पर डी॰ डी॰ ए॰ ने फ्लैंट बनाने शुरु किये हैं ग्रीर कितने फ्लैट्स बन करके जनता को दिये गये हैं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसा मेरे मिल श्री मलिक जी ने कहा कि कछ ऐसी बस्तिया है, पौश लोकेलीटीज हैं जिनके बीच मैं गांव हैं उनमें कोई मुविधा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्राप इन गांवों में मीवर पब्लिक लैटिन्स ग्रीर दूसरी मुविधाओं की पूर्ति करने का कोई ग्राग्वासन सदन में 1446 RS-8

दग ! आज तक वहा पर कोइ सुविधाए
प्रदान नहीं की गई हैं और इसका वर्णन अभी
मेरे मिल्ल ने किया है। तीसरा प्रश्न मैं यह
पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को जमीन
ली जा रही है उन पर डी॰ डी॰ ए॰ प्लैट्स
बना कर लोगों को देता है, इसलिए क्या
मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि फर्स्ट
परफरेन्स फ्लैटों के आबंटन में उन लोगों को
दिया जाएगा जो उस जमीन के औनसं थे?

भी भीष्म नारायण सिहं: उपसभापति जी, माननीय सदस्य श्री प्रश्विनी कृमार जी ने यह कहा कि पिछले सालों में दिल्ली में 32 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हुई है। जो सूचना मुझे दो गई है उसमें यह बताया गया है कि 32 हजार नहीं, 45 हजार एकड़ जमीन ली गई है। ग्राप जानते है कि दिल्ली में ग्रावादी का दबाब बढ़ रहा है। इसलिए पहले मास्टर प्लान में यह सोच। गया था कि दिल्ली में इतनो ग्रावादी बढ़ेगी श्रीर पिछले सालों में दिल्ली में ग्रावादी बढ़ेगी रही है।

श्री उपसभापति : दुबारा बढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री भोष्म नारायण सिहं : श्रीमन्, यह अनुमान लगाया गया है कि 2001 में दिल्ली को भावादी 1 करोड़ 22 लाख तक हो जाएगी । ऐसी स्थिति में अगर पहले से हम मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे. जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तो उस बक्त इस समस्या का निदान कैसे निकाल सकेंगे ।

228

भिष्म नारायण सिही जो हमारा ग्रनुभव रहा है मास्टर प्लान का इस को भी ग्रापको सोचना पड़ेगा। उस से यह सिद्ध है कि धाबादी ज्यादा बढ़ती जा रही है इस कारण अभी जमीन एक्वायर करनी जरूरी है। दूसरी बात आपने कहा कि एक्वीजिशन के बाद जो किसानों को दाम दिये जाते हैं इससे ज्यादा दाम लिये जाते हैं। यह केवल जो ब्रॉक्शन में अलाट होते हैं, जो कर्माश्रयल होते हैं उस में यह 2 प्रतिशत मुझे बताया गया है जो जमीन एक्वायर होती है 2 प्रतिशत आँकशन होता है और इस तरह के कमशियलं कामों में उसका इस्तेमाल होता है । बाकी जो है उसमें सड़कें बनाकर, सीवर डाल कर ग्रीर उसको डेंबलप करके कन्सैसनल रेट पर दिये जाते हैं । इस लिए इन सब बातों का जिनका माननीय सदस्य ने जिक किया है सरकार ध्यान रखती है श्रीर इन बातों को ही ध्यान में रख कर काम करती है ।

श्री ब्रश्चिनी कुमार : ग्रापने स्वयं कहा कि 45 हजार लिया है। मेरी जान-कारी के अनुसार 1959-60 में 66 हजार के नोटिस दिये गये 21 साल के नोदिस अभी भी जमीन के हैं जो एक्वायर नहीं हुई है। पहले आप इसको एक्वायर कर लीजिए तीन साल बचे हुए हैं। आप क्यों 13 हजार एकड़ भ्रीर जमीन को क्यों फसा रहे हैं।

श्री भीवम नारायण सिंह : प्रोसेज में होगी।

श्री ग्रहिबनी कुमार : ग्राप जरा विचार कीजिए कि किसानों की क्या हालत है। बीस-इक्कीस साल से उनके सर पर तलवार लटकी हुई है और धाप घागे भी लटकाने जा रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंहं : प्रोसेज में होगी । श्रापने कहा जमीन एक्वायर ग्रभी मत कीजिए । डी० डी० ए०

की जो विल्डिना कन्सटक्शन एक्टीविटीज हैं उस से आप वाकिफ होंगे ही । मकान वनाकर लोगों को देने की ग्रलग-क्रलग स्कीमें हैं सल्फ फाइनेंशिग स्कीम है, हडकों की स्कीम ब्रोर भी है, जिसके अन्तर्गत मकान बना कर लोगों को दिए जा रहे हैं। ग्रखवारों की इसकी फिगर भी ग्रापने देखी होगी । हाल ही में ये फिगर्स डी० डी० ए० ने रीलिज की है जो इस ग्रखबार में छपी है 1 लगमंग 10 हजार फ्लैट्स रिलीज करने की बात उस में कही गयी है, इस लिए इस तरह हम मुखातिव हैं।

श्री शिव चन्द्र शा (बिहार) : उप-सभापति महोदय , दिल्ली का विकास हो. मुन्दर ढंग से प्लान्ड रूप में हो, यह हम सब की कामना है। मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि मास्टर प्लान है, मेरा कहना है कि सुपर मास्टर प्लान ब्राप वनार्ये । दिल्ली मामूली जगह नहीं है । हस्तिनापूर से लेकर भाज तक इसका अपना इतिहास रहा है। लेकिन जब में दिल्ली की स्थिति पर गौर करता ह तो पाता ह कि दुनिया के ग्रीर मुल्कों की राजधानियों के मुकाबले में दिल्ली बहुत पीछे है। मैं मास्को, लन्दन, जापान, वाशिंगटन ब्रादि जगहों पर घूमां हूं, परन्तु जत्र दिल्ली कों मैं उनके मकाबले देखता हं तो मझे बहत द:ख होता है । दिल्ली का विकास गानदार हंग से नहीं हो एहा है। मास्टर प्लान इसके लिए बनाया गया लेकिन उससे कोई प्रगति नहीं हुई । खास तौर पर जब पुरानी दिल्ली की देखते हैं और उस की हालत पर गौर करते हैं तो सर झक जाता है। पूरानी दिल्ली क्या है। पुरानी दिल्ली जो है वहां मन्दगी का राज है । बादशाह शाहजहां ग्रगर ग्राज वापस ब्राजार्ये तो उसे वह ब्रपने समय की दिल्ली लगेगी वही जामा मस्जिद है, वहीं शीश गंज है और वही गन्दगी भरी

pub He hnvortancK

हुई है, वही मच्छर मख्खियां वहां है। मंत्री जी याद कर लें कि अभी कुछ राज-नैतिक कार्यकर्तायों ने एक यान्दीलन गुरू किया था. पूर्ण मक्ति आन्दोलन, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कोठी पर हमला हुन्ना था। तो यह जो ग्रान्दोलन हमा था। भापको शायद पता है कि नहीं कि यह किस हालत में हुआ। इतने बड़े-बड़े फार्म वहां हैं, श्री राम जी की जमीन है, ग्रगल - बगल . . .

श्री उपसभापति : ग्राप प्रश्न पृष्ठिये यह सब हो गया।

....

3487 J. 48

श्री शिव चन्द्र हाः इस लिए सर-कार दिल्ली के विकास के लिए पूरे तौर पर बहु जमीन ले और जो विकास होना है उसको ठीक ढंग से करें ग्रीर यदि जहरत हो तो अगल-बगल की जो जमीन है उसको भी ले ले, मैं इस से सहमत हूं। लेकिन इसमें बातें दो आ जाती है। श्चरवन की जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसके अगल-वगल की जमीन जो ले लेते हैं, इंदल एरिया की, तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए । ये दोनों इंटर-रिलेटेड हैं । आप दिल्ली विकास के नाम पर अगल-वंगल कैं गांबों की जो जमीन हैं उसको ले लेते हैं भीर उसको ग्राप कम्पन्सेशन भी दे देते हैं। पर इतने से ही काम नहीं चलता ग्रीर यही ग्राप की योजना की बटि होती है। अरबने को आप प्लानिंग करते हैं लेकिन बगल में जो रूलर एरियाज हैं उसको लेकर आप योजना नहीं बनाते हैं जिससे यह एक इम्बेलॅस्ड जिसको साइडेड कहते हैं हो जाता है। **डे**वलपमेंट इसलि ग्राता कि

जमीन जो ग्राप ग्रववार जिन गांव से भ्राप जमीन लेगें, टीक है आप कम्पनसेशन देंगे लेकिन वहां के लोगों को रिहेबिलीटेट करने के लिए पैसे देने से ही काम नहीं चलेगा वें लोग जहां बसते हैं उनके लिए कोई माडल विलेज की योजना वनाई जानी चाहिए । यह कह देना कि लेटरीन का इंतजाम होगा, सिर्फ इससे ही काम नहीं होता है और भी सभी वातें हैं जैसे सड़कों हैं, दवा, हास्पीटल, डिसपेंसरीज, स्कल हैं, यह सुविधाएं भी होनी चाहिए । जिन गांवों की जमीन ग्राप ले रहे हैं उन **आवों को**ंभी प्लांड रूप में मांडल विलेज बनाने की कोई योजना आप रखते हैं। सिर्फ कम्पनसेशन ही नहीं जैसे की मैंने कहा यदि आप माडल विलेज बनाएं तो यह सोने में सुगंध होगा । क्या आप के पास ग्रगल-बगल के गांवों को माडल विलेज बनाने की योजना है या नहीं ? अब की **वात ।** आप कम्पनसेशन कम्पनसेशन देंगे लेकिन यह सब धन्धा हम लोगों ने बिहार में किया है ग्रौर करते रहे हैं। नहर बनाने के लिए जमीन एक्वायर करके कम्पनसेशन दिया जाता था । इसमें सिफं जमीन लेने की बात ही नहीं उसके लिए तो झाप कम्पनसेशन देंगे ही, मुझावजा देंगे ही, लकिन उस जमीन पर जो पेड हैं, फल हैं, उसको भी ग्राप इनवल्ड कर रहे हैं या नहीं । क्योंकि उसमें यह बात रहती है कि जमीन के ग्रलावा ... (Interruptions) जमीन ग्राप जिस रेट पर लेते हैं, और रुपये का मूल्य जिस रूप में कम हो रहा है 1980 में जो उसकी अप-ट्-डेट बेल्य है वह बढ़ी है इसलिए **ग्रा**प इसको भी कम्पनसेशन देते समय ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं ? मेरा तीसरा सवाल यह है...

श्री उक्सभापति : श्राप तो दोहरा रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : कहां दोहरा रहा है। क्या किसी ने माडल विलेज का कहा है ? मैं पैड़ भीर फलों के कम्पनसेशन की बात कहता ह, क्या किसी ने कहा है ? क्या किसी ने यह बात उठाई है ?

श्री उपसमापति : चीजें तो कम्पनसेशन में ही शरीक होती हैं। यह तो साधारण-सा कानून है इसमें क्या पूछना ? ग्रच्छा ग्रगला सवाल पछिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : बस हो गया अब क्या पर्छमे ।

श्री उपसभापति : नहीं श्रभी कोई सवाल रह गया हो तो पुछ लीजिए।

श्री शिव चन्द्र झा: नहीं ग्रव नहीं पूछना है।

थो भोष्म नारायण सिंह : मान्यवर श्री शिव चन्द्र झा जी हम लोगों के बड़े मिव हैं और गांव से स्नाते हैं। इसलिए गांव के लिए उनका चितित होना स्वाभाविक है। हमें लैंड एक्विजिशन वगैरह के बारे में लोगों की सहायता की है, उनको इस बारे में काफी तजरबा होगा। जब लैंड एक्विजिशन होता है तो जिन बातों की पेड़ वगैरह की चर्चा वे कर रहे थे उसमें सब बातें ग्रा जाती हैं। इन सब वातों को ध्यान में रख कर ही कलक्टर मुझावजा फिक्स करता है।

श्री शिव चन्द्र झा: उपसभापति महोदय जरा सुनिये। ऐसा नहीं होता है। जमीन के दाम हैं लेकिन पेड़, फल वगैरह का अलग हिसाब होता है . . .

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य जी ने जो माडल विलंज की वात कहीं है । लैंड एक्वायर हो जाए, ग्राल्टरनेटिव व्यवस्था है या नहीं या फिर माडल विलेज बने यह इनके सुन्दर सुझाव हैं । यह सुझाव कार्यवाही के लिए हैं, मैंने नोट कर लिए हैं।

श्रीमती हामिया हबीबल्लह ( उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह तो बिलकुल सच्ची बात है कि हमारी सोशलिस्ट डेमोकेसी जिसमें हमने वार-बार वायदा किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा गरीबी, वेरोजगारी को दूर करने के साथ-साथ रहने को घर देंगे और हमारी यह परेशानी कि स्रवाम के लिए, गरीबों के लिए कितने घर बन रहे हैं, ग्रीर क्या इंतजाम हो रहा है यह विलक्ल जायज है।

श्री उपसभापति : ग्राप सवाल पृष्ठिये ।

श्रीमती हामिदा हबीबल्लह: मैं सवाल भी पुछ्ंगी। क्योंकि सवाल ग्रभी यह श्रा जाता है परेशानी हमारे विरोधी दलों की ग्रोर से पेश हो रही थी। ग्राप कहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम दो । अभी मंत्री जी ने बताया कि तीन हजार एकड जमीन के लिए किसानों को साड़े सात करोड़ रुपये दिए गए हैं । ग्रगर इतने दाम देंगे तो फिर रेट बढ जाएगा और उसी तरह से फिर कायम हो जाएगा । इसलिए मैं तो समझती हं यह जो बात हो रही है यह तो इनके हंगामा करने की आदत हो गई है। ऐसा लगता है वि-

"हंगामे में मौकूफ है घर की रौनक, नाला-ए-गम ही सही, नगमा-ए-शादी न सही।"

हुंगामा करना है, ठीक है, जायज है मगर ग्रभी जो गया कि कर्माणयल स्कीमों से को ग्राप ने वेलफेयर स्कीमों पर खर्च किया तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती है कि जो आमदनी आप की हो रही है ये जो केयर स्कीम्स दिखाई दे रही हैं ये उसके मुकाबले में इतनी कम हैं कि इसी वजह से हमें ज्यादा परेशानी होती 🕻 । ग्रापके प्लान में जरूर 46 हजार घर इस साल हैं जिसमें 32 हजार बन चुके हैं मगर उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती ह कि 32 हजार घरों से हमारा कितना भला होगा, कितनी हमारी लाखों की जरूरत है द्याप 32 हजार घर बना देंगे तो क्या होगा। ग्रापके प्लान तो इतनी तेजी से होने चाहिए जैसे ग्रभी किसी भाई ने वहां से कहा कि मास्को में देखकर ग्राये हैं। मैं यही देख रही है 15-20 साल से मझे जब मास्कों में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहां लाखों की तादाद में घर बनते चलें जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहगी कि जो प्लान आपका है वह ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा रुपया बनाइये पूजीपतियों से ग्रीर खर्च कीजिए इस वेल्फेयर स्कीम के ऊपर, मगर ग्रापका मुवमेंट बहुत स्लो क्यों है। उप-सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हं कि ये जो ग्रीन बेल्ट्स ग्रापने बनाये हैं, ग्रापने बहत ग्रच्छा काम किया है, मगर जो कुछ किया है वह हमारी जरूरत के मुकावले में बहुत कम है । हमें ग्रीन वेल्ट्स को बहुत बढ़ाना है लोगों के सांस लेने की जगह होनी चाहिए। हमें घर भी ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं ग्रीर ग्राखिरी वान मैं यह पूछना चाहती हं कि जो वहां से हुई है कि जहांपर ये घर बन रहे हैं वहां बहुत पक्का इंतजाम सीवर लाईन ग्रीर पानी का करना चाहिए। मैं मंत्री जी से पुछना चाहती है कि क्या ग्राप इस बात को कंसीडर करेंगे कि अपका जो काम है अभी वह बहत स्लो भवमेंट में है उसमें ग्राप चार

ग्ना, पांच ग्ना तेजी लायेंगे ग्रीर कामयाबी हासिल करेंगे ।

भी उपसभापति : तेजी से होगा, माननीय मंत्री आरी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सम्मानीय सदस्याका मैं बड़ा आभारी हं कि दिल्ली का विकास वे बिल्कुल सुनियोजित ढंग से चाहती हैं। सरकार की भी यहीं मंशा है कि दिल्ली का विकास सुनियोजित ढंग से हो ग्रीर तेजी से हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, फार एक्शन मैंने उनको नोट कर लिया है ग्रीर सरकार तो वचनबद्ध है कि दिल्ली का विकास सुनियोजित हो ग्रीर दिल्ली दनिया के ग्रन्छे से ग्रन्छे शहरों में गिना जाये।

भी नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी मीठा जवाब देते हैं।

भी उपसभापति : शाही जी बैठिये नन्दाजी।

एक माननीय सदस्य : बहुत मीठा बोलते हैं।

श्री नरसिंह प्रसाद नन्दा (उड़ीसा): मुझे तो प्रश्न करने दीजिए ।

श्री उपसमापति : श्री नन्दा जी को प्रश्न करने दीजिए ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, the statement of the hen. Minister reveals that the projected population of Delhi will be 122 lakhs in 2001 A.D. and, therefore, there is need for a second development Plan. Now this raises a very basic question regarding the approach of this Government to cities and concentration of population in cities. From the original estimate of 45 lakhs, this city has now a population of about 58 lakhs and is likely to touch 122 lakhs in the year 2001 A.D. Now, what is the basic

## | Shri Nai'asingha Prasad Nanda]

235

policy of the Government regarding concentration of population,? Suppose all the people would like to urbanise themselves and would like to live in cities because cities have their own advantages. The question therefore whether this Government any formulation,, any basic thinking some ceiling for the city of Delhi and diverting the people to other neighobouring lacalities and loping those areas also as cities. where there" can be industrial growth, where there can be other facilities which are available in, .Delhi, so that there is not this concentration of population, because concentration of population also creates its own problems. I do not want to elaborate this point. I just want to know whether the Government has any thinking on this issue. Secondly, basic what is most 1 p.m. painful is of by the notice certain lands were covered under Section 4 of the Land Acquisition Act, and, as alleged by one of the honourable Members, 32,000 acres of those lands have not been properly acquired as required Land Acquisition Act, what is under the the point in issuing notices under Section 44 and keeping all these lands owners of these lands under the Democle's Sword? Will the honourable Minister take personal interest in the matter and inquire into it and see why it has taken more than twenty years not to bring them within- the purview of the Land Aquisition Act why they have not been properly acquired?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Notification was issued.

SHRI NARASINGHA PRASAD (NANDA: It was not answered pro Then thirdly, this question came up in the Question Hour also, they are goin' in for a second develop ment pin: f tell you that this DDA Act was passed in the year 1957 and we are now in the year of

the Lord 1980; in spite of the fact that more than twenty-three years have elapsed, the DDA has not formulated any rules for settlement of land, for various matters the DDA framed various kinds' of rules, but for settlement pi land the DDA has not framed the rules. This thing might not have been brought to the notice of the honourable Minister. I am bringing this to his notice now. The Committee on Subordinate Legislation also in one of its reports made this point very clear that rules have not been framed and therefore when rules are not made, most of the things are being done under executive direction. Will the Minister therefore ensure that these rules are framed expeditiously and are also laid on the Tables of both Houses of Parliament?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I appreciate the anxiety of the honourable Shri Nanda. Our approach is very clear. I have said in the course of my statement when I was replying to Mr. Malik, we not only acquire land for those who want land here, but for relieving the pressun population on Deliai we are trying to divert also. I have, said in my statement and I shall read it out again for the kind information' of the honourable Member: 'Although there is an attempt to decentralise some of the activities to the small and medium towns in the adjoining States of Haryana, UP and Rajasthan., considerable population pressure would however, continue to be fell in Delhi." This is what I have said. So we are trying for that also equally.

So far as framing of rules is concerned, I will check up the matter. I have said in the Question Hour also, this is the practice always, when some rules are framed, they are laid on the Tables of both Houses Parliament. So I will have to find out whether rules have been framed or not, and if they are framed but not laid in the House. I shall arrange for that, I will have to look into the matter as to what the position is.